आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आर्म्स अपील वाद संख्या–249 / 2022

त्रिलोकी राउत

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.02.2023	प्रस्तुत अपीलवद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.–4613 / 2021 में दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक सं0–1215 में दिनांक 03.09.2020 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा अपीलकर्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित समादेश दिनांक 29.09.2022 में अंकित है कि:– **" It is needless to state that in case appropriate appeal is filed within a period of six weeks from today, the appellate authority shall consider the same on merits and shall pass appropriate order thereon, in accordance with law, without being impeded by the issue of limitation."** माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई एवं	

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता अनुज्ञप्तिधारी है जिनकी अनुज्ञप्ति सं0–587/आदापुर है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिस प्राथमिकी के आधार पर इनके (अपीलकर्ता) के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। अपीलकर्ता अपने मित्र गोस्वामी के साथ मठ में गये थे। जहां पर किसी बकरी चराने वाले से लड़ाई हो गयी। उस लड़ाई में इनका (अपीलकर्ता) कोई योगदान नहीं था और न ही इनके बंदुक से फायरींग होने का कोई साक्ष्य है। फिर भी पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने उनके (अपीलकर्ता) अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु जिला दंडाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को अनुशंसा कर दिया, जिस आधार पर उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है, जो गलत है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर के अनुसार अपीलकर्ता उक्त मामले में Charge-sheeted है। इसलिए जिला दंडाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता पर आदापुर थानांतर्गत कांड सं0–66/2019 दर्ज है, जिसमें धारा 147, 149, 341, 323, 354, 504, भा0द0वि0 एवं 3 (1) (आर)(एस)(डब्लू)3(2)(V-a) अनु0जा0ज0जा0 अधिनियम एवं 25 (1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त है। अनुसंधान, घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों का बयान से यह काण्ड धारा–147/149/341/323/354 बी /504, भा0द0वि0 एवं 25

WEB COPY NOT OFFICIAL

(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 3 (1) (आर)(एस)(डब्लू)3(2)(V-a) अनु0जा0ज0जा0 अधिनियम के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा अभियुक्त त्रिलोकी राउत के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–33/19 दिनांक 29.08.2019 माननीनय न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। वैसे भी अपीलकर्ता पर जो धाराएँ लगाई गई है वह गंभीर प्रकुति की है। अपीलकर्ता के विरूद्ध कमजोर वर्ग की महिला वादी द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर चार्जशीट भी दायर है। ऐसी परिस्थिति में शस्त्र का होना कतिपय उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलकर्ता का यह कहा जाना कि उस लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, इस संबंध में उन पर धारा 149 लगा है, जिसमें अंकित है कि :–

"Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object.- *In an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence."*

मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलकर्ता पर हुए प्राथमिकी के आधार पर जॉच करवाते हुए पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा अपने पत्रांक–148/ गो0 दिनांक–07.07.2020 से अपीलकर्ता पर लगे आरोप को सत्य पाते हुए उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को अनुशंसा किया गया, जिस आधार पर जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चंपारण ने अपीलकर्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश दिया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL